# प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक-30.11.2024

## #OPERATION CONVICTION

**इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं 5 ,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।**

**जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना सैफई पुलिस, मानीटरिंग सैल/सम्मन सैल द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित कराया गया।**

**संक्षिप्त विवरणः-**

दिनांक 15.11.08 को थाना सैफई पर वादी की तहरीर के आधार पर **मु0अ0सं0 114/2008 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम** पंजीकृत किया गया था।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा उक्त अभियोग के संबंध मे अभियुक्त को दण्डित कराये जाने हेतु प्रभावी पैरवी करते हुये अभियोजन के सभी गवाहों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर अविलंब गवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा इस प्रकरण मे सतत निगरानी रखते हुये दिये गये निर्देशानुसार अभियोग के गवाहों को थाना सैफई पुलिस टीम पैरोकार का0 गुलाब सिंह एवं मानीटरिंग/सम्मन सैल टीम व एपीओ श्री जगदीश प्रसाद द्वारा नियत तिथियों पर प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 30.11.2024 को मा0 न्यायालय एसीजेएम – I इटावा द्वारा 03 वर्ष का कारावास एवं 5,000/- रु0 के अर्थदंड से दण्डित किया गया ।**

**सजायाफ्ता अपराधी-**

1. **दिनेश पुत्र विष्णु दयाल निवासी अहलादपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी।**